प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 352 सन 2022
अनवान :–

1. सेवकसिह पुत्र प्यारासिह जाति जटसिख निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. दिलबाग सिह पुत्र हरभजनसिह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुखराजसिह पुत्र हरभजनसिह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. परजीतकौर पुत्री हरभजन सिह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. बलजीतकोर पुत्री हरभजनसिह जाति जटसिख निवासी चक 7 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/5/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 107/87 की कुल 3.7950हैक्ट जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मुश्तरका खाते में 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें वादी का 1/30 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/20 दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व मे अग्रेजसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्र प्यारासिह एव पुत्री अग्रेजकोर के नाम दर्ज हुई अग्रेजकोर के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया हुआ है जिसमें वादी की बुआ के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग किया गया था वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

खण्ड अधिकारी
नोहर

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उनकी माता अग्रेजकोर के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने परिवारिक समझौता में वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 107/87 की कुल 3.7950हैक जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मुश्तरका खाते में 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें वादी का 1/30 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/20 दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व मे अग्रेजसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्र प्यारासिह एव पुत्री अग्रेजकोर के नाम दर्ज हुई अग्रेजकोर के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया हुआ है जिसमें वादी की बुआ के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग किया गया था वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 107/87 की कुल 3.7950हैक जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मुश्तरका खाते में 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें वादी का 1/30 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/20 दर्ज है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज भूमि उनकी माता अग्रेजकोर के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने परिवारिक समझौता में वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 107/87 की कुल 3.7950हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10 प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/20 हिस्सा दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट.....परलीका